न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 124 / 26
वीरपुर थाना काण्ड सं0– 298 / 25

	1. मो0 हसबुल.....आवेदक **बनाम्** बिहार सरकार.....विपक्षी	
01 / 04 / 26	अभियुक्त मो0 हसबुल की ओर से वीरपुर थाना काण्ड सं0– 298 / 25 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कांत झा द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का एक आपराधिक इतिहास है तथा उन्हें ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत् झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप बनावटी व मनगंढंत है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने, धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों का अनुपालन करने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचिका बीबी सदीजा के आवेदन के आधार पर धारा 126(2), 115, 303(2), 76, 352,351(2),3(5) BNS के अंतर्गत दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 24 / 08 / 25 को करीब 11:30 बजे रात्रि में अपने घर में अपने बाल–बच्चों के साथ सोयी हुई थी कि अचानक मो0 अचानक, मो0 हारूण, जियाउल हक, मो0 इसराफिल एवं मो0 हसबुल अचानक ऑगन में घुस गया और किवाड़ को खट–खटाया तो सूचिका आवाज दी कि कौन है, बोला दरवाजा खोलिए हम अपने आदमी हैं। सूचिका जैसे ही किवाड़ की कुंडली खेली वैसे ही अभियुक्तों ने पकड़ कर बुरी नियत से बिस्तर पर पटक दिया तथा शरीर में पहने सलवार एवं समीज को जबरदस्ती खोलने लगा और मेरा स्तन को दबाते हुए शरीर का कपड़ा उतारने लगा जिससे अद्धनग्न हो गई। जब सूचिका ने जब विरोध किया और जोर–जोर से हल्ला कि तो उसकी पुत्री नींद से जगी तब तक उपरोक्त सभी अभियुक्तगण बोला कि अगर ज्यादा बोलेगी तो मार देंगे। इसी बीच अभियुक्तगण ने सूचिका के नाक से सोना का नकमुनी कीमत दस हजार रूपया एवं दस भरी का पायल झटक लिया। जाते समय अभियूक्तगण ने धमकी दिया कि इस बात की शिकायत की तो जान से मरवा देंगे। उभय पक्ष को सुना व अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा प्रार्थी अभियुक्त सहित अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका के साथ गाली गलौज करने, छेड़छाड़ करने, जबरदस्ती कपड़ा खोलने तथा दस हजार रूपया एवं जेवरात छीनने का आरोप है। कांड दैनिकी के कंडिका–08 एवं 09 में साक्षियों ने अपने अपने बयानों में उभय पक्षों के बीच जमीन संबंधित विवाद होने की बात बतायी है तथा यह भी कही है कि हसबुल एवं एकबाल चाहते है कि सूचिका बीबी खदीजा घर छोड़ कर चली जाए इसलिए वे लोग उसे परेशान करते हैं। कंडिका 27 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी वर्णित है जिससे स्पष्ट है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार एवं	लगातार....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 124 / 26

वीरपुर थाना काण्ड सं0– 298 / 25

01 / 04 / 26 लगातार	दियाद लगते हैं तथा पड़ोसी है और दोनों पक्ष के बीच पूर्व से जमीन संबंधित विवाद है तथा उसी जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज एवं मारपीट हुआ और पर्यवेक्षण के क्रम में काण्ड को धारा 126(2), 115, 75, 352, 351(2), 3(5) BNS के अंतर्गत काण्ड को सत्य पाया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 41 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध एक अन्य आपराधिक मामले दर्ज है। कंडिका 104 से स्पष्ट है कि वाद के सह अभियुक्त मो0 इकबाल को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार आदेश प्राप्ति / प्रस्तुती के तीन सप्ताह के अंदर प्रार्थी आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर या निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर मो0 10,000/- के दो–दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	